मध्यप्रदेश शासन
सामांन्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रएफ 7–42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2016

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी, (अनुविभागीय अधिकारी ''राजस्व'')
समस्त जिला कलेक्टर, (प्रथम अपीलीय अधिकारी),
समस्त संभागायुक्त, (द्वितीय अपीलीय अधिकारी),
मध्यप्रदेश.

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। (सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्र. 6.3)

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 13.01.2014.

--0--

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए संदर्भित निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों की कंडिका-5.2 एवं 5.3 निम्नानुसार है :-

5.2 मध्यप्रदेश में निवास एवं जाति की पुष्टि करने के लिये निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जा सकते है :-

(i) **जाति की पुष्टि हेतु–**

परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी/पिता/माता/चाचा/भाई/बहिन) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो।

अथवा

परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहिन या दादा) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(ii) **परिवार की वर्ष 1950 में निवास की पुष्टि हेतु दस्तावेज (जो उपलब्ध हो)**

शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई/बहिन) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री ...

(iii) स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

(iv) जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र।

5.3 **आवेदक जिसके पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) में मध्यप्रदेश में निवास संबंधी दस्तावेज नहीं है :-**

ऐसे आवेदकों से जिनके पास वर्ष 1950 (अन्य पिछडे वर्गों के लिये 1984) या उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, तो उसे यह लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए। राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर/कैम्प में, जाच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिए। इसके लिये आवेदक/संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के संभ्रान्त व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये जाना चाहिए और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करना चाहिए।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को 1950 या उसके पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विवश किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशों की कंडिका-5.2 (i) के अंतर्गत कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध है तो उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए। यदि आवेदक के पास कंडिका-5.2 (i) में उल्लेखित कोई दस्तावेज नहीं है तो कंडिका-5.3 के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये जाना चाहिए और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करना चाहिए।

3/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 7-42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल.
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,म.प्र.शासन, भोपाल.
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदशे शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल.
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद-500082।
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय,
21. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन